



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052022-235554
CG-DL-E-05052022-235554

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1977]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2022/वैशाख 14, 1944

No. 1977]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2022/VAISAKHA 14, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2022

का.आ. 2078(अ)—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 3576 (अ.), दिनांक 09 नवम्बर, 2017, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जबकि, कुनो राष्ट्रीय उद्यान 748.761 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश राज्य में शिवपुर जिले के करहल और विजयपुर तहसील में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई शेर के दूसरे घर के रूप में पहचाना जाता है और यह कुनो वन्यजीव प्रभाग का केंद्र है;

और जबकि, कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बफर क्षेत्र में चार रेंज (557.278 वर्ग किलोमीटर) सम्मिलित हैं। कुनो राष्ट्रीय उद्यान और चार बफर रेंज मिलकर कुनो वन्यजीव प्रभाग बनता है;

और जबकि, कुनो वन्यजीव अभयारण्य को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 15-8-79-एक्स-2 भोपाल के तहत दिनांक 16 जनवरी, 1981 को अधिसूचित किया गया था और बाद में पिछले वन्यजीव अभयारण्य में 404.0758 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित करके अधिसूचना संख्या एफ-15-52-2002-एक्स-2 दिनांक 14 दिसंबर, 2018 द्वारा इसे कुनो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था;

और जबकि, कुनो राष्ट्रीय उद्यान और कुनो वन्यजीव प्रभाग का जैव विविधता समृद्ध पर्यावास और इसके आसपास के वन क्षेत्र के साथ स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और लघु जीवन रूपों की विभिन्न प्रजातियों को आसरा देता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेर के स्थानान्तरण के लिए इस क्षेत्र को "सर्वाधिक उपयुक्त स्थल" के रूप में भी पहचाना गया है;

और जबकि, इस संरक्षित क्षेत्र में विद्यमान कुछ महत्वपूर्ण पुष्प प्रजातियां अर्जुन (*टर्मिनलिया अर्जुना*), आम (*मैंगिफेरा इंडिका*), आंवला (*एम्बेलिका ऑफिसिनैलिस*), इमली (*टैमरीन्डस इंडिका*), कचनार (*बौहिनिया वेरिगेटा*), कैथा या वुडएप्पल (*फेरोनिया लिमोनिया*), खेजड़ी (*प्रोसोपिस सिनेरारिया*), बबूल (*एकेसिया निलोटिका*), बहेडा (*टर्मिनलिया बेलेरिका*), बेर (*ज़िज़ीफस मॉरिटियाना*), सहजन (*मोरिंगा पर्दिगोस्पर्मा*), टीक (*टेक्टोना ग्रांडिस*), खैर (*अकेसिया केटेचु*), गुलमोहर (*डेलोनिस रेजिया*), गुलर (*फ्रिक्स ग्लोमेराटा*), जंगल जलेबी (*पिथेसेलोबियम डल्से*), जामुन (*सिज़ीगियम क्यूमिनी*), तेंदु (*डायोस्पायरोस मेलानोक्सीलॉन*), लासोडा (*काँडिया लैटिफोलिया*), नीम (*अज़ादिराच्टा इंडिका*), पीलू (*साल्वेडोरा ओलियोइड्स*), आदि हैं;

और जबकि, कुनो राष्ट्रीय उद्यान से अभिलिखित की गई स्तनपायी प्रजातियां ब्लैक बक (*एंटीलोप सर्विकाप्रा*), चिंकारा या इंडियन गज़ेल (*गज़ेला बेन्नेट्टी*), चौसींगा मृग (*टेट्रासेरोस क्वाड्रिकोर्निस*), भारतीय भेड़िया (*कैमिस लुपुस पैलिप्स*), तेंदुआ या पैंथर (*पैंथेरा पार्डस*), रीछ (*मेलुर्सस उर्सिनस*), बाघ (*पैंथेरा टिग्रिस*), सामान्य लंगूर (*प्रेस्विटिस एंटेल्स*), रीसस मकाक (*मकाका मुलाट्टा*), सामान्य लोमड़ी (*वल्प्स बेंगालेंसिस*), सियार (*कैमिस ऑरियस*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चौस*), ऊदबिलाव (*लूथरा पर्सीपिसिलाटा*), वीसेल्स (*मुस्टेला सिबिरिका*) (*मुस्टेला काथियान*), मुंजक या मुंटजैक (*मुमटलाकस मुंटजैक*), चीतल (*एक्सिस एक्सिस*), लकड़बग्घा (*हाइना हाइना*), नीलगाय (*बोसेलाफस ट्रैगोकैमेलस*), सांभर (*सर्वस यूनिकलर*), जंगली सूअर (*सस स्क्रोफा*), फाइव स्ट्रिपड पाम स्क्रिबल (*फनमबुलुस पेनांट*), भारतीय साही (*हिस्ट्रिक्स इंडिका*), ब्लैक नेप्ड हेर, आदि हैं;

और जबकि, संरक्षित क्षेत्र में रहने वाली दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियां जंगली कुत्ता या धोल (*क्यूओन अल्पाइंस*), घड़ियाल (*गावियलिस गैंगेटिकस*), यूरेशियन ग्रिफॉन (*जिप्स फुल्वस*), रेड हेडेड वलचर या किंग वलचर (*सरकोजिप्स कैल्वस*), यूरेशियन मार्श हैरियर (*सिर्कस एरुगिनोसस*), ओरिएंटल हनी बज़र्ड (*पर्निस पटिलोरिनकस*), कॉमन पोचर्ड (*एथिया फेरिना*), रेड-क्रेस्टेड पोचर्ड (*नेट्टा रूफिना*), ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन (*निक्टिकोरैक्स निक्कोरैक्स*), यूरेशियन थिक-नी (*बुरिनस ओडिक्रेमस*), जंगल प्रिनिया (*प्रिनिया सिल्वोर्टिका*), रेड वॉटलेड लैपविंग (*वेनेलस इंडिकस*), ब्लैक-नेकेड स्टॉक (*एफिपिओहिन्चस एशियाटिकस*), यूरोपियन रोलर (*कोरासियास गैरुलस*), ब्लू रॉक थ्रश (*मॉंटिकोला सॉलिटरिस*), व्हाइट-ब्रोड फैनेटेल (*रिपिडुरा ऑरोला*), ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (*चोरियोटिस निग्रिसेप्स*), वाइट रूमपड वलचर

(जिप्स बेंगालेंसिस), लॉग बिलड वलचर (जिप्स इंडिकस), जंगल प्रिनिया (प्रिनिया सिल्वोर्टिका), अलेक्जेंड्रिन पैराकीट (सिटकुला यूपेट्रिया), आदि हैं;

और जबकि, कुनो राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से मानव बस्तियों से रहित है और कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत रहने वाले चौबीस (24) राजस्व ग्रामों को राष्ट्रीय उद्यान के बाहर पुनर्वासित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान के बाहर ग्रामों के पुनर्वास की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त भूमि को हर साल रख-रखाव किया जाता है ताकि ऐसे क्षेत्रों को गुणवत्ता वाले घास के मैदानों में परिवर्तित किया जा सके है, जिसमें घास की बारहमासी और खाद्य प्रजातियों का रोपण किया जाता है जिससे इस क्षेत्र को स्वस्थ और टिकाऊ शिकार आधार बनाने के लिए उपयुक्त बनाया जा सके;

और जबकि, कुनो राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट हैं, को सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य में शिवपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 2 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कुनो राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कुनो राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 2 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की सीमा तक होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 725.904 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) कुनो राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक -I** के रूप में संलग्न है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए कुनो राष्ट्रीय उद्यान के मानचित्र **अनुलग्नक -IIक, अनुलग्नक -IIख, अनुलग्नक -IIग, अनुलग्नक -IIघ और अनुलग्नक -IIङ** के रूप में संलग्न हैं।
- (4) कुनो राष्ट्रीय उद्यान और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक-III** की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।
- (5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची मुख्य बिंदुओं पर उनके भू-निर्देशांकों के साथ **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- i. पर्यावरण;

- ii. वन;
- iii. कृषि;
- iv. राजस्व;
- v. शहरी विकास;
- vi. पर्यटन;
- vii. ग्रामीण विकास;
- viii. जल संसाधन विकास;
- ix. नगरपालिका;
- x. पंचायती राज; और
- xi. लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान करेगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैरा 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार सक्षम

प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- (v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुनः वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा

पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुमत नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सरण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या केंद्र शासित द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम उसके अधीन बने नियमों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) और अन्य लागू नियमों के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में

		टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर संशोधित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और सामान्य भस्मीकरण सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस अपशिष्ट के अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण सुविधा की स्थापना को प्रतिबंधित किया जाएगा।
9.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परन्तु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परन्तु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध

		क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी: परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल

	निस्सारण ।	या बहिर्भाव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पॉलीथिन बैग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, नामतः

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
1.	संभागीय आयुक्त, मोरेना	अध्यक्ष;
2.	मुख्य वन संरक्षक, सिंह परियोजना, ग्वालियर	सदस्य;
3.	जिलाधिकारी, शिवपुर	सदस्य;
4.	मुख्य नगर अधिकारी, नगर पालिका शिवपुर	सदस्य;
5.	अधीक्षक अभियंता, जल संसाधन विभाग लोक स्वास्थ्य विभाग/लोक निर्माण विभाग/एमपीईबी शिवपुर	सदस्य;

6.	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र के एक विशेषज्ञ	सदस्य;
7.	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला गैर-सरकारी संगठन (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत) का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
8.	जिला पंचायत के सीईओ, शिवपुर	सदस्य;
9.	नगर और गांव योजना बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य;
10.	मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य;
11.	मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य;
12.	संभागीय वनाधिकारी, कुनो वन्यजीव संभाग, शिवपुर	सदस्य- सचिव।

6. निर्देश निबंधन:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदेश आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/81/2015-ईएसजेड-आरई]

एस. केरकेटा, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक - I

मध्य प्रदेश राज्य में कुनो राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

क. कुनो राष्ट्रीय उद्यान की चारों सीमाओं का विवरण

क्र.स.	दिशा	विवरण
1.	उत्तर	राजस्व ग्राम मेतोनी की दक्षिण पश्चिमी सीमा, कुनो नदी के प्रतिच्छेदन बिंदु से राजस्व ग्राम मेतोनी की दक्षिण-पूर्वी सीमा और वन क्षेत्र सीरोनी के कम्पार्टमेंट सं. पी एफ-1058, सीरोनी वन क्षेत्र के कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-995 की दक्षिणी सीमा से होते हुए जाती है, कम्पार्टमेंट सं. आर-एफ-996 की आंशिक दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-997 की पश्चिम-दक्षिणी सीमा और वन क्षेत्र आगरा के कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-1014 की पश्चिम-दक्षिणी सीमा, आर-एफ-1023 की दक्षिण-पूर्वी सीमा, आर एफ-1016 की आंशिक दक्षिण-पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-1017 की दक्षिणी सीमा से होते हुए जाती है कम्पार्टमेंट सं. आर-एफ-1016, आर एफ-1017 और आर एफ-1021 की प्रतिच्छेदन बिंदु तक है।
2.	पूर्व	कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-1017 की दक्षिणी सीमा कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-1016, आर एफ-1017 और आर एफ-1021 से कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-1021 तक के प्रतिच्छेदन बिंदु है, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-1032 की पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-1033 की उत्तर-पश्चिमी सीमा से कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-1043 की आंशिक उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-1042 की उत्तर-पश्चिमी और आंशिक दक्षिणी सीमा कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-1044 की पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-1052 की आंशिक उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-1051 की उत्तर-पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-1054 की उत्तर-पश्चिमी और आंशिक दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर-एफ-1057 की पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. पी एफ-1063 की आंशिक पश्चिमी सीमा और राजस्व ग्राम उमरी की पश्चिमी सीमा और वन क्षेत्र आगरा के कम्पार्टमेंट सं. पी एफ-1064 की पश्चिमी सीमा है। कम्पार्टमेंट सं. पी एफ-1065 की पश्चिम-दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. पी एफ-1066 की आंशिक पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. पी एफ-1067 की आंशिक पश्चिमी सीमा और राजस्व ग्राम धोररा की पश्चिम-दक्षिणी सीमा और वन क्षेत्र आगरा के कम्पार्टमेंट सं. पी एफ-605 की आंशिक दक्षिणी सीमा और राजस्व ग्राम दुबेरा की आंशिक पश्चिम-दक्षिणी सीमा और राजस्व ग्राम मगरधा और कुदवाई की पश्चिमी सीमा, वन क्षेत्र आगरा के कम्पार्टमेंट सं. पी एफ-597 की उत्तर-पश्चिम-दक्षिणी सीमा और राजस्व ग्राम कुदवाई की आंशिक पश्चिमी सीमा कम्पार्टमेंट सं. पी एफ 125 के शिवपुरी जिला की पश्चिमी सीमा से होते हुए जाती है। शिवपुरी जिला के वन क्षेत्र मोरावन पूर्व और पश्चिमी सीमा के कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-595 के प्रतिच्छेदन बिंदु तक है।
3.	दक्षिण	वन क्षेत्र पालपुर पूर्व के कम्पार्टमेंट सं. पी एफ-125 से वन क्षेत्र मोरावन पूर्व के कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-595 के प्रतिच्छेदन बिंदु और मोरावन पूर्व के कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-595 की उत्तरी सीमा के शिवपुरी जिला की पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-594 राजस्व ग्राम हाथेरी के कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-593 की उत्तरी सीमा से होते हुए जाती है और कुनो नदी के मध्य से पूर्व-उत्तरी सीमा, राजस्व ग्राम बाग, तीकटोली की पूर्व-उत्तरी सीमा और वन क्षेत्र-मोरावन पश्चिम के कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-632 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-635, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-636, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-637 की पूर्व-उत्तरी सीमा से कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-638 की पूर्व-उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. -641, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-642 की पूर्व-उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-643, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-664 की पूर्व-उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-663 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-658 की आंशिक उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-659, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-660, वन क्षेत्र सीरोनी के कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-656 की उत्तरी सीमा से कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-682 की पूर्व दक्षिणी सीमा से होते हुए जाती है यह वन क्षेत्र मोरावन पश्चिम के कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-656 की उत्तरी सीमा और कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-681 की दक्षिण-पश्चिमी सीमा के प्रतिच्छेदन बिंदु है।
4.	पश्चिम	वन क्षेत्र सीरोनी के कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-682 की पूर्व दक्षिणी सीमा से वन क्षेत्र मोरावन के कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-656 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-681 की पश्चिम और दक्षिण-पश्चिमी सीमा से सीरोनी वन क्षेत्र के कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-682 की पूर्व-उत्तरी सीमा तक प्रतिच्छेदन बिंदु है, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-687 की सीमा की पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-689 की पूर्व-उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-690 की आंशिक पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं.-691, कम्पार्टमेंट सं.-692 की पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं.- आर एफ-770 की पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-769 की पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-780 की पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर


	एफ-794 की पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-795 की पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-796 की आंशिक पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-765 की दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-763 की दक्षिण-पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-759 की दक्षिण पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-758 की आंशिक पूर्वी सीमा और कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-757 की दक्षिण पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-753 की दक्षिण-पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-752 की दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-747 की दक्षिणी-पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-746 की दक्षिणी सीमा, राजस्व ग्राम जहानगढ़ की पश्चिम-दक्षिणी सीमा, कुनो नदी की मध्य सीमा, राजस्व ग्राम मेतोनी की दक्षिण-पश्चिमी सीमा से होते हुए जाती है, कुनो नदी के प्रतिच्छेदन बिंदु और वन क्षेत्र धोरेट की कम्पार्टमेंट सं. पी एफ-1058 तक है।
--	--

ख. कुनो राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

क्र.सं.	दिशाएं	संरक्षित क्षेत्र से दूरी (किलोमीटर में)
1	उत्तर	9
2	उत्तर-पूर्व	10
3	पूर्व	2
4	दक्षिण-पूर्व	2
5	दक्षिण	15
6	दक्षिण-पश्चिम	10
7	पश्चिम	2
8	उत्तर-पश्चिम	2.5


अनुलग्नक – IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर सहित कुनो राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का टोपोशीट मानचित्र




अनुलग्नक - IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर सहित कुनो राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र




अनुलग्नक - IIग

कुनो राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र




अनुलग्नक - IIघ

कुनो राष्ट्रीय उद्यान का अवस्थान मानचित्र



अनुलग्नक - II

कुनो वन्यजीव संभाग का अवस्थान मानचित्र



अनुलग्नक -III

सारणी क: कुनो राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के साथ चारों कोनों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	जीपीएस स्थान	अक्षांश	देशांतर
1.	ए	26° 1'6.53" उ	77° 7'30.86" पू
2.	बी	25°59'25.30" उ	77°14'23.07"पू
3.	सी	25°56'36.26" उ	77°13'54.09"पू
4.	डी	25°50'55.28" उ	77°13'32.92" पू

5.	ई	25°46'21.13" उ	77°16'58.17" पू
6.	एफ	25°43'44.32" उ	77°17'21.25" पू
7.	जी	25°41'51.63" उ	77°18'3.01" पू
8.	एच	25°40'4.14" उ	77°19'33.64" पू
9.	आई	25°39'47.11" उ	77°18'8.85" पू
10.	जे	25°39'9.94" उ	77°14'3.30" पू
11.	के	25°42'11.83" उ	77° 8'40.21" पू
12.	एल	25°45'5.22" उ	77° 2'23.29" पू
13.	एम	25°48'48.91" उ	77° 0'1.30" पू
14.	एन	25°53'31.70" उ	77° 0'3.20" पू
15.	ओ	25°55'36.10" उ	77° 4'11.99" पू

सारणी ख: कुनो राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	जीपीएस	अक्षांश	देशांतर
1.	ए	26° 5' 21.48" उ	77° 5' 37.75" पू
2.	बी	26° 3' 21.71" उ	77° 18' 4.09" पू
3.	सी	25° 57' 3.35" उ	77° 15' 44.17" पू
4.	डी	25° 51' 54.8" उ	77° 15' 44.99" पू
5.	ई	25° 46' 18.43" उ	77° 20' 7.16" पू
6.	एफ	25° 43' 42.09" उ	77° 18' 55.51" पू
7.	जी	25° 42' 18.10" उ	77° 19' 5.64" पू
8.	एच	25° 39' 51.62" उ	77° 20' 35.91" पू
9.	आई	25° 33' 17.29" उ	77° 18' 26.45" पू
10.	जे	25° 30' 50.05" उ	77° 13' 26.44" पू
11.	के	25° 30' 37.56" उ	77° 4' 56.85" पू
12.	एल	25° 40' 37.75" उ	76° 58' 38.37" पू
13.	एम	25° 48' 41.14" उ	76° 58' 58.75" पू

14.	एन	25° 54' 46.60" उ	76° 59' 28.02" पू
15.	ओ	25° 57' 16.20" उ	77° 2' 53.60" पू

अनुलग्नक -IV

कुनो राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की भू-निर्देशांकों सहित सूची

क्र.सं.	संभाग	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1		उमरी खुर्द	25° 53' 04.78" उ	77° 12' 21.70" पू
2		हाथेडी	25 38' 45.50" उ	77° 12' 0.87" पू
3		धोरेरा	25° 48' 49.77" उ	77° 15' 28.71" पू
4		कादवाई	25° 44' 04.75" उ	77° 16' 50.26" पू
5		डोंडि खेडा	25° 44' 21.20" उ	77° 04' 25.37" पू
6		सिरोनी	25° 49' 10.85" उ	76° 59' 55.98" पू
7		ओछा	25° 53' 20.92" उ	76° 59' 55.97" पू
8		मेटोनी	26° 14' 04.13" उ	77° 08' 14.26" पू
9		शाहपुर खुर्द	25° 57' 20.40" उ	77° 15' 17.23" पू
10		आगरा	25° 55' 59.54" उ	77° 13' 44.66" पू
11		मागारदा	25° 46' 08.52" उ	77° 17' 06.82" पू
12		दुबेरा	25° 46' 17.20" उ	77° 17' 39.11" पू
13		डोमारी	25° 38' 14.29" उ	77° 14' 05.01" पू
14		चाकराना	25° 38' 44.33" उ	77° 11' 44" पू
15		बाग	25° 39' 00.10" उ	77° 11' 27.54" पू
16		टिकटोलि	25° 39' 01.63" उ	77° 10' 53.77" पू
17		जाहानगढ	25° 58' 28.55" उ	77° 07' 07.18" पू
18		कागिब्ली	25° 59' 04.25" उ	77° 06' 16.44" पू
19		धोराट	25° 59' 29.05" उ	77° 09' 32.83" पू
20		बादरेन्था	25° 37' 45.18" उ	77° 8' 33.73" पू
21		पाटारी	25° 36' 39.30" उ	77° 12' 0.02" पू

क्र.सं.	संभाग	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
22	कुनो वन्यजीव संभाग शिवपुर	सिलोरी	25°36'50.65"उ	77°14'5.08"पू
23		टिघारा	25°36'25.87"उ	77°15'17.45"पू
24		नावलपुरा	25°35'26.77"उ	77°14'5.34"पू
25		जाखडा	25°35'13.00"उ	77°11'19.80"पू
26		मोरावन	25°36'6.28"उ	77° 9'36.01"पू
27		अमेठ	25°36'6.48"उ	77° 7'42.05"पू
28		चाँदपुर	25°36'42.56"उ	77° 6'39.86"पू
29		सेठपुर	25°35'38.54"उ	77° 6'19.25"पू
30		अधवाडा	25°34'14.00"उ	77°10'7.25"पू
31		अमेट	25°34'9.38"उ	77° 7'11.17"पू
32		जामुर्दी काराहाल	25°33'52.01"उ	77°12'1.04"पू
33		कुराचोर कलां	25°34'6.20"उ	77°14'46.52"पू
34		कुराचोर खुर्द	25°32'50.23"उ	77°16'9.67"पू
35		बासीद	25°31'49.77"उ	77°12'42.42"पू
36		चाक किसनपुर	25°32'34.00"उ	77°11'9.28"पू
37		सीसाईपुरा	25°32'28.96"उ	77°10'7.13"पू
38		अज्जोई	25°33'1.89"उ	77° 8'23.71"पू
39		नोनपुरा	25°32'3.03"उ	77° 7'10.45"पू
40		ईकलौड	26° 0'49.89"उ	77°16'51.08"पू
41		रणसिंहपुरा	25°59'2.06"उ	77°16'29.95"पू
42		सिलपारी	26° 1'38.29"उ	77° 4'35.70"पू
43		अमरपुरा	25°59'17.08"उ	77° 5'37.86"पू
44		दीओपुर	25°57'52.03"उ	77° 5'16.89"पू
45		सारारी खुर्द	25°36'28.01"उ	77° 3'54.24"पू
46	सारारी कलां	25°35'25.43"उ	77° 3'53.87"पू	
47	पाटवाडा	25°35'21.32"उ	77° 5'6.71"पू	

क्र.सं.	संभाग	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
48		डोब	25°43'51.04"उ	77° 2'41.78"पू
49	शिवपुरी	अहेरा	250 39' 11.22"उ	770 16' 50.59"पू
50		सामारा	250 39' 28.94"उ	770 20' 17.52"पू
51		ओखाइपाटा	250 38' 31.35"उ	770 16'06.61"पू

अनुलग्नक -V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र :-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2022

S.O 2078(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O.3576(E), dated 9th November, 2017, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira

Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Kuno National Park is spread over an area of 748.761 square kilometres and is situated in Karhal and Vijaypur Tehsil of Sheopur District in the State of Madhya Pradesh. The National Park is identified as the second home to Asiatic lion and forms the core of the Kuno Wildlife Division;

AND WHEREAS, the buffer area of the Kuno National Park comprises of four ranges (557.278 square kilometer). The Kuno National Park and the four buffer ranges together constitute the Kuno Wildlife Division;

AND WHEREAS, the Kuno Wildlife Sanctuary was notified by Government of Madhya Pradesh vide Notification No. 15-8-79-X-2 Bhopal dated 16th January, 1981, and was later declared as Kuno National Park vide notification number F-15-52-2002-X-2 dated the 14th December, 2018 by inclusion of 404.0758 square kilometres of area in the previous Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, the biodiversity rich habitat of Kuno National Park and Kuno Wildlife Division with adjoining forest area supports various species of mammals, birds, reptiles and lesser life forms. The area is also identified as "Most Suitable Site" for translocation of Asiatic Lion from Gir National Park by Wildlife Institute of India, Dehradun;

AND WHEREAS, some of the important floral species present in the protected area are arjun (*Terminalia arjuna*), mango (*Mangifera indica*), amla (*Embelica officinalis*), tamarind (*Tamarindus indica*), kachnar (*Bauhinia variegata*), kaitha or woodapple (*Feronia limonia*), khejri (*Prosopis cineraria*), babool (*Acacia nilotica*), baheda (*Terminalia belerica*), ber (*Zizyphus mauritiana*), sehjan (*Moringa pterygosperma*), teak (*Tectona grandis*), khair (*Acacia catechu*), gulmohar (*Delonix regia*), gular (*Ficus glomerata*), jungle jalebi (*Pithecellobium dulce*), jamun (*Syzygium cumini*), tendu (*Diospyros melanoxylon*), lasoda (*Cordia latifolia*), neem (*Azadirachta indica*), peelu (*Salvedora oleoides*) etc.;

AND WHEREAS, the mammals species recorded from the Kuno National Park are black buck (*Antelope cervicapra*), chinkara or Indian gazelle (*Gazella bennetti*), four horned antelope (*Tetracerus quadricornis*), Indian wolf (*Canis lupus pallipes*), leopard or panther (*Panthera pardus*), sloth bear (*Melursus ursinus*), tiger (*Panthera tigris*), common langur (*Presbytis entellus*), rhesus macaque (*Macaca mulatta*), common fox (*Vulpes bengalensis*), jackal (*Canis aureus*), jungle cat (*Felis chaus*), otters (*Lutra perspicillata*), weasels (*Mustela sibirica*) (*Mustela kathian*), barking deer or muntjac (*Muntiacus muntjak*), chital (*Axis axis*), hyaena (*Hyaena hyaena*), nilgai (*Boselaphus tragocamelus*), sambar (*Cervus unicolor*), wild pig (*Sus scrofa*), five striped palm squirrel (*Funambulus pennant*) Indian porcupine (*Hystrix indica*), black naped hare etc;

AND WHEREAS, the rare, endangered and threatened species present in the protected area are wild dog or dhole (*Cuon alpinus*), gharial (*Gavialis gangeticus*), Eurasian griffon (*Gyps fulvus*), red headed vulture or king vulture (*Sarcogyps calvus*), Eurasian marsh harrier (*Circus aeruginosus*), oriental honey buzzard (*Pernis ptilorhynchus*), common pochard (*Aythya ferina*), red-crested pochard (*Netta rufina*), Black crowned night heron (*Nycticorax nycticorax*), Eurasian thick-knee (*Burhinus oedipnemus*), jungle prinia (*Prinia sylvortica*), red wattled lapwing (*Vanellus indicus*), black-necked stork (*Ephippiorhynchus asiaticus*), European roller (*Coracias garrulous*), blue rock thrush (*Monticola solitarius*), white-browed fantail (*Rhipidura aureola*), Great Indian bustard (*Choriotis nigricaps*), white rumped vulture (*Gyps bengalensis*), long billed vulture (*Gyps indicus*), jungle prinia (*Prinia sylvortica*), alexandrine parakeet (*Psittacula eupatria*);

AND WHEREAS, the Kuno National Park is totally devoid of human settlements and twenty four (24) revenue villages living inside the Kuno National Park have been rehabilitated outside the National Park. The land obtained through the process of relocation of the villages outside the National Park is treated every year to convert such areas into quality grasslands, by planting with perennial and palatable species of grasses making the area suitable for building up a healthy and sustainable prey base;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Kuno National Park which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent ranging from 2 kilometres to 15 kilometres around the boundary of Kuno National Park, Sheopur District in the State of Madhya Pradesh as Kuno National Park Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 2 kilometres to 15 kilometres around the boundary of Kuno National Park and the area of the Eco-sensitive zone is 725.904 square kilometres.

- (2) The boundary description of Kuno National Park and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
- (3) The maps of the Kuno National Park demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-II A, Annexure-II B, Annexure-II C, Annexure-II D and Annexure-II E**.
- (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Kuno National Park and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III**.
- (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - i. Environment;
 - ii. Forest;
 - iii. Agriculture;
 - iv. Revenue;
 - v. Urban Development;
 - vi. Tourism;
 - vii. Rural Development;
 - viii. Water Resource Development;
 - ix. Municipality;
 - x. Panchayati Raj;
 - xi. Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall provide mechanism for regulating developmental activities in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved by the State Government shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) **Tourism or eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:
- Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.— Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.— The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.— The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.— The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.— Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.— (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.— The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.— All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste shall be permitted within Eco Sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of Solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. shall be Prohibited.
9.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms corporate and companies.	Prohibited as per applicable laws except for meeting local needs.
B. Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism

		<p>activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
11.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	<p>a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.</p> <p>b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone	Regulated as per the applicable laws.

	area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:

S.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Divisional Commissioner, Morena	Chairman;
2.	Chief Conservator of Forest, Lion Project, Gwalior	Member;
3.	District Collector, Sheopur.	Member;
4.	Chief Municipal Officer, Nagar Palika Sheopur	Member;
5.	Superintendent Engineer, Department of Water Resource Public Health Department /Public Works Department/MPEB Sheopur	Member;
6.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh	Member;
7.	One representative of Non-Governmental Organization (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of Madhya Pradesh	Member;
8.	CEO of Jila Panchayat, Sheopur	Member;
9.	Representative of the Town and Country Planning Board	Member;
10.	Representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board.	Member;
11.	Representative of Madhya Pradesh State Biodiversity Board	Member;
12.	Divisional Forest Officer, Kuno Wildlife Division, Sheopur	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7.Additional Measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8.Supreme Court, etc. orders.-The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/81/2015-ESZ-RE]

S. KERKETTA, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF KUNO NATIONAL PARK AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE OF MADHYA PRADESH

A. DESCRIPTION OF THE FOUR BOUNDARIES OF THE KUNO NATIONAL PARK

S.No.	DIRECTION	DECRPTION
1.	North	South Western Boundary of Revenue Village Metoni, South-Eastern boundary of revenue village metoni from the intersection point of Kuno river and Compartment No. PF-1058 of forest range Sironi, travelling to southern boundary of compartment No. RF-995 of sironi forest range, partial southern boundary of compartment no. RF-996, west-southern boundary of compartment No. RF-997 and west-southern boundary of compartment no. RF-1014 of forest range agra, south-eastern boundary of RF-1023, partial south-eastern boundary of RF-1016, travelling to southern boundary compartment No. RF-1017 till intersection point of compartment No. RF-1016, RF-1017 and RF-1021.
2.	East	Southern boundary of compartment No. RF-1017 from intersection point of compartment No. RF-1016, RF-1017 and RF-1021 to western boundary of compartment No. RF-1021, western boundary of compartment No. RF-1032, travelling to north-western boundary of compartment No. RF-1033 to partial northern boundary of compartment No. RF-1043, north-western and partial southern boundary of compartment No. RF-1042, western boundary of compartment No. RF-1044, partial northern boundary of compartment No. RF-1052, North-western boundary of compartment No. RF-1051, North-western and Partial Southern boundary of compartment No. RF-1054, western boundary of the compartment No. RF-1057, partial western boundary of compartment No. PF-1063 and western boundary of revenue village Umri and western boundary of compartment No. PF-1064 of Forest Range Agra. West-southern boundary of compartment No. PF-1065, partial Western Boundary of compartment No. PF-1066, Partial western boundary of compartment No. PF-1067 and west-southern boundary of Revenue Village Dhorera and western and partial southern boundary of compartment No. PF-605 of forest range Agra and partial west-southern boundary of revenue village Dubera and western boundary of Revenue village Magardha and Kudwai, North-West-Southern boundary of compartment No. PF-597 of

		forest range Agra and partial western boundary of revenue village Kudwai travelling through western boundary of Shivpuri district to compartment no. PF-125 till the intersection point of compartment No. RF-595 of forest range moravan east and western boundary of Shivpuri district.
3.	South	Compartment No.-PF-125 of forest range palpur east from intersection point of compartment No. RF-595 of forest range Moravan East and Western boundary of Shivpuri district to Northern boundary of compartment No. RF-595 of Moravan East, compartment No. RF-594 through northern boundary of compartment No. RF-593 to revenue village hatheri and east-northern boundary from mid of Kuno river, revenue village bagh, east-northern boundary of Tictoli and northern boundary of compartment no. RF-632 of forest range –Moravan west, compartment No. RF-635, compartment No. RF-636, from East –northern boundary of compartment no. RF-637 to East-northern boundary of compartment No. RF-638, compartment no. 641, east northern boundary of compart no. RF-642, compartment no. RF-643, East-northern boundary of compartment no. RF-664, northern boundary of compartment no. RF-663, partial northern boundary of compartment no. RF-658, compartment no. RF-659, compartment no. RF-660, through northern boundary of compartment no. RF-656 to east-southern boundary of compartment no. RF-682 of forest range Sironi till the intersection point of northern boundary of compartment no. RF-656 of forest range Moravan West and south-western boundary of compartment no.RF-681.
4.	West	East-Southern boundary of compartment no. RF-682 of forest range Sironi from intersection point of northern boundary of compartment no. RF-656 of forest range Moravan West and south-western boundary of compartment no. RF-681 to east-northern boundary of compartment no. RF-682 of forest range Sironi, eastern boundary of boundary of compartment no. RF-687, east-northern boundary of compartment no.RF-689, partial eastern boundary of compartment no.RF-690, compartment no. RF-691, eastern boundary of compartment no. RF-692, eastern boundary of compartment no. RF-770 , eastern boundary of compartment no. RF-769, eastern boundary of compartment no. RF-780, eastern boundary of compartment no. RF-794, south-eastern boundary of compartment no. RF-795, partial eastern boundary of compartment no. RF-796, southern boundary of compartment no.RF-765, South-eastern boundary of compartment no. RF-763, South-eastern boundary of compartment no. RF-759, partial eastern boundary of compartment no.RF-758 and South-eastern boundary of compartment no.RF-757, South-eastern boundary of compartment no.PF-753, Southern boundary of compartment no. RF-752, Southern-eastern boundary of compartment no.RF-747, Southern boundary of compartment no. RF-746, travelling from west-southern boundary of revenue village Jahangarh, mid boundary of Kuno river, South-western boundary of Revenue village Metoni till intersection point of Kuno river and compartment no. PF-1058 of forest range Dhoret.


B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KUNO NATIONAL PARK

S.No.	Directions	Distance from Protected area (in kilometers)
1.	North	9
2.	North-East	10
3.	East	2
4.		

5.	South-East	2
6.	South	15
7.	South-West	10
8.	West	2
9.	North-West	2.5


ANNEXURE- II A

TOPOSHEET MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KUNO NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- II B

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KUNO NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- II C

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KUNO NATIONAL PARK




LOCATION MAP OF KUNO NATIONAL PARK



ANNEXURE- II E

LOCATION MAP OF KUNO WILDLIFE DIVISION



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF FOUR CORNERS ALONG BOUNDARY OF KUNO NATIONAL PARK

S. NO.	GPS LOCATION	LATITUDE	LONGITUDE
1.	A	26° 1'6.53"N	77° 7'30.86"E
2.	B	25°59'25.30"N	77°14'23.07"E
3.	C	25°56'36.26"N	77°13'54.09"E
4.	D	25°50'55.28"N	77°13'32.92"E
5.	E	25°46'21.13"N	77°16'58.17"E
6.	F	25°43'44.32"N	77°17'21.25"E

7.	G	25°41'51.63"N	77°18'3.01"E
8.	H	25°40'4.14"N	77°19'33.64"E
9.	I	25°39'47.11"N	77°18'8.85"E
10.	J	25°39'9.94"N	77°14'3.30"E
11.	K	25°42'11.83"N	77° 8'40.21"E
12.	L	25°45'5.22"N	77° 2'23.29"E
13.	M	25°48'48.91"N	77° 0'1.30"E
14.	N	25°53'31.70"N	77° 0'3.20"E
15.	O	25°55'36.10"N	77° 4'11.99"E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KUNO NATIONAL PARK

S. No.	GPS	Latitude	Longitude
1.	A	26° 5' 21.48" N	77° 5' 37.75" E
2.	B	26° 3' 21.71" N	77° 18' 4.09" E
3.	C	25° 57' 3.35" N	77° 15' 44.17" E
4.	D	25° 51' 54.8" N	77° 15' 44.99" E
5.	E	25° 46' 18.43" N	77° 20' 7.16" E
6.	F	25° 43' 42.09" N	77° 18' 55.51" E
7.	G	25° 42' 18.10" N	77° 19' 5.64" E
8.	H	25° 39' 51.62" N	77° 20' 35.91" E
9.	I	25° 33' 17.29" N	77° 18' 26.45" E
10.	J	25° 30' 50.05" N	77° 13' 26.44" E
11.	K	25° 30' 37.56" N	77° 4' 56.85" E
12.	L	25° 40' 37.75" N	76° 58' 38.37" E
13.	M	25° 48' 41.14" N	76° 58' 58.75" E
14.	N	25° 54' 46.60" N	76° 59' 28.02" E
15.	O	25° 57' 16.20" N	77° 2' 53.60" E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KUNO NATIONAL PARK ALONG WITH GEO-COORDINATES

S.NO.	DIVISION	VILLAGES	LATITUDE	LONGITUDE
1.	Kuno Wildlife Division Sheopur	Umri Khurd	25° 53' 04.78"N	77° 12' 21.70"E
2.		Hathedi	25 38' 45.50"N	77° 12' 0.87"E
3.		Dhorera	25° 48' 49.77"N	77° 15' 28.71"E
4.		Kadwai	25° 44' 04.75"N	77° 16' 50.26"E

S.NO.	DIVISION	VILLAGES	LATITUDE	LONGITUDE
5.		Doondi Kheda	25° 44' 21.20"N	77° 04'25.37"E
6.		Sironi	25° 49' 10.85"N	76° 59'55.98"E
7.		Ochha	25° 53' 20.92"N	76° 59'55.97"E
8.		Metoni	26° 14' 04.13"N	77° 08'14.26"E
9.		Shahpur Khurd	25° 57' 20.40"N	77° 15'17.23"E
10.		Agra	25° 55' 59.54"N	77° 13'44.66"E
11.		Magarda	25° 46' 08.52"N	77° 17'06.82"E
12.		Dubera	25° 46' 17.20"N	77° 17'39.11"E
13.		Domari	25° 38' 14.29"N	77° 14'05.01"E
14.		Chakrana	25° 38' 44.33"N	77° 11' 44"E
15.		Bag	25° 39' 00.10"N	77° 11'27.54"E
16.		Tiktoli	25° 39' 01.63"N	77° 10'53.77"E
17.		Jahangarh	25° 58' 28.55"N	77° 07' 07.18"E
18.		Kagiwli	25° 59' 04.25"N	77° 06'16.44"E
19.		Dhorat	25° 59' 29.05"N	77° 09'32.83"E
20.		Badrentha	25°37'45.18"N	77° 8'33.73"E
21.		Patari	25°36'39.30"N	77°12'0.02"E
22.		Silori	25°36'50.65"N	77°14'5.08"E
23.		Tighara	25°36'25.87"N	77°15'17.45"E
24.		Navalpura	25°35'26.77"N	77°14'5.34"E
25.		Jakhda	25°35'13.00"N	77°11'19.80"E
26.		Moravan	25°36'6.28"N	77° 9'36.01"E
27.		Ameth	25°36'6.48"N	77° 7'42.05"E
28.		Chandpur	25°36'42.56"N	77° 6'39.86"E
29.		Sethpur	25°35'38.54"N	77° 6'19.25"E
30.		Adhwada	25°34'14.00"N	77°10'7.25"E
31.		Amet	25°34'9.38"N	77° 7'11.17"E
32.		Jamurdi karahal	25°33'52.01"N	77°12'1.04"E
33.		Kurachor Kalan	25°34'6.20"N	77°14'46.52"E
34.		Kurachore khurd	25°32'50.23"N	77°16'9.67"E
35.		Based	25°31'49.77"N	77°12'42.42"E
36.		Chak Kisanpur	25°32'34.00"N	77°11'9.28"E
37.		Sesaipura	25°32'28.96"N	77°10'7.13"E
38.		Ajnoi	25°33'1.89"N	77° 8'23.71"E
39.		Nonpura	25°32'3.03"N	77° 7'10.45"E
40.		Iklaud	26° 0'49.89"N	77°16'51.08"E

S.NO.	DIVISION	VILLAGES	LATITUDE	LONGITUDE
41.		Ransinghpura	25°59'2.06"N	77°16'29.95"E
42.		Silpari	26° 1'38.29"N	77° 4'35.70"E
43.		Amarpura	25°59'17.08"N	77° 5'37.86"E
44.		Deopur	25°57'52.03"N	77° 5'16.89"E
45.		Sarari Khurd	25°36'28.01"N	77° 3'54.24"E
46.		Sarari Kalan	25°35'25.43"N	77° 3'53.87"E
47.		Partwada	25°35'21.32"N	77° 5'6.71"E
48.		Dob	25°43'51.04"N	77° 2'41.78"E
49.		Ahera	25° 39' 11.22"N	77° 16' 50.59"E
50.	Shivpuri	Samara	25° 39' 28.94"N	77° 20' 17.52"E
51.		Okhaipata	25° 38' 31.35"N	77° 16'06.61"E

ANNEXURE –V**Performa of Action Taken Report:-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.